न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर 76

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 215–दो/2005 – विरूद्ध आदेश दिनांक 20–10–2004 – पारित व्दारा – आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर – प्रकरण कमांक 91/2000–01 स्वमेव निगरानी

1– शेरसिंह पुत्र तहसीलदार सिंह
2– श्रीमती राजेश्वरी देवी उर्फ विट्टो
पत्नि स्व0श्याम सिंह
3– उँकार सिंह 4– ओमप्रताप सिंह
5– ओमप्रकाश सिंह 6– सूयप्रतापसिंह
7– ज्ञान सिंह पुत्रगण श्यामसिंह
8– श्रीमती गायत्री देवी पुत्री श्यामसिंह
पत्नि सुरेन्द्रसिंह तौमर
सभी निवासी श्योपुर तहसील व
जिला श्योपुर मध्य प्रदेश ---आवदेकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री बी0एन0त्यागी)

आ दे श

(दिनांक 16 फरवरी, 2016 को पारित)

आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक प्रकरण कमांक 91/2000–01 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20.10.2004 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल, श्योपुर व्दारा विभाग के लिये भूमि मांगने पर श्योपुर नगर की भूमि सर्वे कमांक 138/2 रकबा 3 वीघा 10 विसवा अभिलेख में दर्ज पड़ती कदीम में से 34110 वर्गमीटर अपर कलेक्टर श्योपुर ने आदेश दिनांक 14-7-1994 से मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल को आवंटित की।

(उक्त के पूर्व अपर कलेक्टर श्योपुर कलॉ ने प्रकरण कमांक 7/1981-82 में पारित आदेश दिनांक 14-5-1982 से श्योपुर नगर की भूमि सर्वे कमांक 138/2, 139/1, 140/1 रकबा 4 बीघा भूमि तहसीलदार सिंह को दुग्ध डेयरी स्थापना हेतु सर्शत प्रदान की थी)

आवेदकगण की ओर से अपर कलेक्टर श्योपुर के आदेश दिनांक 14-7-1994 के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 49/1994-95 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-6-95 से अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया गया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ लौटाया गया कि यदि निगरानीकर्ता ने पटटे की शर्तो का उल्लॅघन किया है तो जांच कराई जावे एंव स्थल निरीक्षण उपरांत निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर देकर पुनः आदेश पारित किया जावे। अपर कलेक्टर श्योपुर कलॉ ने पटवारी व अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री विद्युत मण्डल से रिपोर्ट प्राप्त की तथा पटवारी एंव अभिभाषकगण की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण कर आवेदक की सुनवाई कर प्रकरण कमांक 18/85-86 अ 20 (4) में आदेश दिनांक 5-7-2000 पारित किया तथा 80X 120 फीट भूमि मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल को तथा शेष बची भूमि पूर्व में दिये गये पटटे अनुसार स्व0तहसीलदार सिंह के वारिसान के नाम करने के आदेश दिये।

अपर कलेक्टर श्योपुर कलॉ के उक्त प्रकरण का परीक्षण

करने पर अनियमितायें करना पाये जाने पर वर्ष 2000-01 में आयुक्त चम्बल संभाग ने स्वमेव निगरानी दर्ज कर अनावेदकगण को कारण बताओ नोटिस दिनांक 19-6-2001 जारी किया कि कारण बताओ नोटिस में दर्शाई गई अनियमितताओं के आधार पर क्यों न अपर कलेक्टर, श्योपुर कलॉ का आदेश दिनांक 5-7-2000 निरस्त किया जावे। आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 91/2000-01 स्वमेव निगरानी में पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 20.10.2004 पारित किया तथा अपर कलेक्टर श्योपुर कलॉ के प्रकरण कमांक 18/85-86 अ 20 (4) में आदेश दिनांक 5-7-2000 को निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर परिलक्षित है कि अपर कलेक्टर श्योपुर के आदेश दिनांक 14-7-1994 के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 49/1994-95 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-6-95 से अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करके प्रकरण इस निर्देश के साथ लौटाया गया कि यदि निगरानीकर्ता ने पटटे की शर्तो का उल्लॅघन किया है तो जांच कराई जावे एंव स्थल निरीक्षण उपरांत निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर देकर पुनः आदेश पारित किया जावे। अर्थात विद्युत मण्डल को आबंटित सर्वे कमांक 138/2 रकबा 3 वीघा 10 विसवा अभिलेख में दर्ज पड़ती कदीम पूर्ववत् दर्ज रही। अपर कलेक्टर श्योपुर व्दारा अपर आयुक्त के निर्देशानुसार जब पुर्नसुनवाई एंव जांच की, तब प्र0क018/85-86 अ 20 (4) में आदेश दिनांक 5-7-2000

से 80X 120 फीट भूमि मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल को देते हुये तथा शेष बची भूमि पूर्व में दिये गये पट्टे अनुसार स्व0तहसीलदार सिंह के वारिसान के नाम करने के आदेश दिये, जबकि भूमि सर्वे क्रमांक 138/2 रकबा 3 वीघा 10 विसवा शासकीय अभिलेख में पड़ती कदीम दर्ज थी अर्थात शासन की की होकर मौके पर पड़त थी जिसे कलेक्टर ने स्व0तहसीलदार सिंह के वारिसान को देने में त्रृटि की है।

5/ जो रकबा मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल को प्रदान किया गया है उस पर प्रीमियम एंव भू भाटक निर्धारित किये बिना मध्य प्रदेश शासन को आर्थिक छति भी पहुंचाई जाना पाया गया।

6/ प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अपर कलेक्टर श्योपुर के रूप में पूर्व में श्री पिल्लई नामक अधिकारी पदस्थ थे जिनका स्थानान्तर मुख्य कार्यपालन यंत्री जिला पंचायत के पद पर होने से वह अपर कलेक्टर के पद से दिनांक 24-6-2000 को भारमुक्त हो चुके थे जबकि अपर कलेक्टर की पदीय हैसियत से उन्होंने प्रकरण क्रमांक 18/85-86 अ 20 (4) में आदेश दिनांक 5-7-2000 पारित किया है जो अधिकार क्षेत्र के वाहर है और ऐसे अधिकारिता-विहीन आदेश को निरस्त करने में विद्वान आयुक्त ने किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।

7/ आवेदकगण के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके कि जब तहसीलदार सिंह को अपर कलेक्टर श्योपुर कलॉ ने प्रकरण क्रमांक 7/1981-82 में पारित आदेश दिनांक 14-5-1982 से श्योपुर नगर की भूमि सर्वे क्रमांक 138/2, 139/1, 140/1 रकबा 4 बीघा दुग्ध डेयरी स्थापना हेतु सर्शत प्रदान की, तहसीलदार ने एंव उनकी मृत्यू उपरांत उनके वारिसान ने आवंटित भूमि पर डेयरी की स्थापना नहीं की एंव वर्ष 2000 में स्थल निरीक्षण पर सर्वे नंबर 138/2 रकबा 3 वीघा 10 विसवा भूमि शासकीय अभिलेख में पड़ती कदीम दर्ज होकर

मौके पर पड़त पाई गई है और यही स्थिति अन्य सर्वे नंबर 139/1 एंव 140/1 की पाई गई है अर्थात डेयरी स्थापना हेतु दी गई भूमि की शर्तो का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने आवेदकगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर एंव आवेदकगण अपना दावा प्रमाणित करने में असफल पाये जाने से प्रकरण कमांक 91/2000-01 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20.10.04 से उक्तांकित भूमि के अस्थाई व सशर्त दिये गये पटटे निरस्त किये है। वर्तमान में मुरैना विभाजित होकर वर्तमान में श्योपुर जिला गठित हो चुका है एंव नगरीय स्थित भूमियों की शासकीय योजनाओं के लिये आवश्यकतायें हैं जिसके कारण आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.04 में किसी प्रकार की कमीवेशी नजर नहीं आती है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 91/2000-01 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20.10.04 विधिवत् पाये जाने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर